



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट एवं गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्त को 04-04 वर्ष के कारावास व 18,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-594/2017 धारा-308/504/506 भा0द0सं0 व 3(1)दध एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.गब्बर उर्फ अश्वनी पुत्र जगत सिंह लोधी 2.लखनलाल पुत्र वृन्दावन निवासीगण सैदपुर थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04-04 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को ₹18,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
विशेष लोक अभियोजक
विजय सिंह



विवेचक-
सीओ श्रीराम



पैरोकार-
थाना राठ
का0 सर्वेश